न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 14/2018

1. चिमन खां पुत्र श्री हाकम अली जाति मुसलमान साकिन खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री गुरजीत वानर, राजकीय अधिवक्ता

::आदेश::

दिनांक :–15.03.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पास चक 21 पीटीपी तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 20–21 में 2.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 35 में किला नम्बर 16 ता 18, 23 ता 25 का 6 बीघा 8 बिस्वा रकबा का कब्जा सन् 1987 से लेकर दिनांक 20.04.2005 तक टी.सी. पर लगातार चला आ रहा है। अपीलांट उपरोक्त रकबा का पुख्ता अलाटमेंट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उप जिलाधीश द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2007 को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी , श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की मगर उन्होने मामला जिलाधीश श्रीगंगानगर को भेज दिया जिस पर जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट का प्रकरण दिनांक 16.03.2009 को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो उप जिलाधीश को रिमाण्ड की थी जो अब तक विचाराधीन है। चक 21 पीटीपी तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 20–21 में 2.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 35 में किला नम्बर 16 ता 18, 23 ता 25 का 6 बीघा 8 बिस्वा रकबा का कब्जा सन् 1987 से लेकर दिनांक 20.04.2005 तक टी.सी. पर लगातार चला आ रहा है बाद में राज्य सरकार द्वारा टी.सी. बन्द करने के कारण टी.सी. पर नहीं हुई जिस पर अपीलांट ने पुख्ता रकबा अलाटमेंट करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होकर उप जिलाधीश सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन है यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायलय ने इस पर गौर नहीं किया। प्रकरण उपजिलाधीश सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आईन्दा तारीख पेशी दिनांक 20.03.2018 मुकरर है अगर इस बीच में अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट के अलाटमैंट प्रार्थना पत्र पर प्रभाव पड़ेगा। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। उक्त विवादित रकबा पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागू नहीं होते बल्कि लैण्ड रैवन्यू एक्ट के प्रावधान लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव प्रस्तुत किया मगर उस पर गौर नहीं किया ना ही उसका हवाला निर्णय में दिया गया है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.03.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सादूलशहर का निर्णय दिनांक 13.03.2018 सही है। अपीलार्थी द्वारा रकबा राज पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.03.2018 द्वारा तावान लगाया गया है तहसीलदार सादूलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि अपीलांट के पास चक 21 पीटीपी तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 20–21 में 2.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 35 में किला नम्बर 16 ता 18, 23 ता 25 का 6 बीघा 8 बिस्वा रकबा का कब्जा सन् 1987 से लेकर दिनांक 20.04.2005 तक टी.सी. पर लगातार चला आ रहा है। अपीलांट का उक्त विवादित रकबा का पुख्ता अलाटमेंट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उप जिलाधीश द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2007 को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी , श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की मगर उन्होने मामला जिलाधीश श्रीगंगानगर को भेज दिया जिस पर जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट का प्रकरण दिनांक 16.03.2009 को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो उपजिलाधीश को रिमाण्ड की थी जो अब तक विचाराधीन है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायलय ने इस पर गौर नहीं किया। उक्त विवादित रकबा पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागू नहीं होते बल्कि लैण्ड रैवन्यू एक्ट के प्रावधान लागू होते है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.03.2018 निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में भूमि अपीलार्थी पक्ष को अस्थाई आवंटन वर्ष 1987 से 2005 तक आवंटित रही परन्तु उन्हें बावजूद आवेदन पुख्ता आवंटित नहीं हुई और न ही 2005 के वाद नवीनीकृत हुई। ऐसी स्थिति में मौके पर भूमि राज्य सरकार में निहित होकर वाकायदा राजस्व रिकॉर्ड में अनाधिवासित प्रतिवेदित है। लिहाजा अपीलार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सादूलशहर दिनांक 13.03.2018 द्वारा चक 21 पीटीपी तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 20–21 में 2.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 35 में किला नम्बर 16 ता 18, 23 ता 25 का 6 बीघा 8 बिस्वा रकबा राज रिकार्ड दर्ज भूमि पर अपीलार्थी चिमन खां पुत्र हाकमअली जाति मुसलमान निवासी खैरूवाला ने अतिक्रमण कर सम्वत् 2074 में फसल रवी में गेहू की नाजायज काश्त की है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का खैरूवाला प्राप्त होने पर प्रकरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज कर अप्रार्थीगण की सुनवाई कर रकबा राज भूमि पर रबी सम्वत् 2074 में गेहूँ की नाजायज काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। इस विवेचन से तहसीलदार सादूलशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2018 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः तहसीलदार सादूलशहर का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सादूलशहर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।